संख्या /VI-I/2007-2(12)2005

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त,
जिला युवा कल्याण एवं,
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण अनुभागः

देहरादून दिनांक ~~-दिसम्बर 2007~~ 03 जनवरी, 2008

विषयः युवा कल्याण विभाग हेतु जिला योजना 2007-08 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का आवंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 920/तीन-1473/2007-08 ,दिनांक- 26 नवम्बर 2007, तथा प्रमुख सचिव वित्त के पत्र संख्या 1044(1)/XXVII (1)/2007 दिनांक 04 दिसम्बर 2007 एवं शासनादेश संख्या 145/VI-I/2007-2(12)2005 दिनांक 07.9.2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से रूपये 428.39 लाख (रू0 चार करोड अठाईस लाख उनतालीस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो के आधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

धनराशि(लाख रू0 में)

क0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृति धनराशि
1	2	3
1.	देहरादून	22.66
2.	हरिद्वार	43.15
3.	पौड़ी	83.85
4.	टिहरी	19.56
5.	उत्तरकाशी	25.00
6.	चमोली	21.24
7.	रूद्रप्रयाग	34.03
8.	उधमसिंह नगर	37.25
9.	नैनीताल	35.96
10.	पिथौरागढ	25.47
11.	अल्मोड़ा	25.68
12.	चम्पावत	45.13

13.	बागेश्वर	9.41
	योग	428.39

2. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती हैं कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. जहां आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन योजना पर एवं वित्तीय व्यय की प्रस्ताव पर प्राप्त कर लिया जायेगा। जहां निर्माण कार्य किये जाने हो वहां आगणनों पर शासन का अनुमोदन नियामनुसार प्राप्त किया जायेगा। सामग्री एवं उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और यह दरें न होने की स्थिति में टेण्डर (कोटेशन)विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

4. यह व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है। धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

6. उक्त के सापेक्ष होने वाला 2007-2008 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें-00-001 निदेशन तथा प्रशासन-91-जिला योजना-9101-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण-42 अन्य व्यय के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0 वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्याः-11 /VI-I/2007-2(12)2005 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल देहरादून।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
4- निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5- निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरखण्ड।
8- वित्त अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
9- एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव